UPHR010041052026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act हरदोई।

<u>प्रकीर्ण वाद संख्या– 271/2026</u>

श्रीमती विन्दासुरी प्रति अभिनन्दन, आदि

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– लोनार, जिला– हरदोई

<u>दिनांकः 18–08–2026</u>

यह प्रार्थना पत्र, प्रार्थिनी **श्रीमती विन्दासुरी** की ओर से, विपक्षीगण **अभिनन्दन, भोला, सत्यम, अजय व शोभित** के विरूद्ध, BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करा कर, विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया गया है।

उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थिनी द्वारा किया गया कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थिनी अनुसूचित चमार जाति की महिला है, जबकि विपक्षीगण 1 ता 4 सवर्ण ठाकुर जाति के लोग है, विपक्षी सं० 5 अनुसूचित चमार जाति का ही है। प्रार्थिनी का पुत्र कुलदीप कुमार, आयु लगभग 18 वर्ष, दिनांक 26.05.2026 को, सायं लगभग 8 बजे, घर से खाना खाकर, गांव में जाने की बात कहकर निकला था, देर तक वापस न आने पर, काफी तलाश किया। दिनांक 27.05.2026 को थाने पर सूचना दी तो कहा गया कि अभी तलाश करो जाकर। दिनांक 28.05.2026 को प्रार्थिनी के पुत्र का शव नदी के किनारे मिला, सूचना पर प्रार्थिनी गई, पुत्र के शरीर पर गम्भीर घाव था, चेहरा भी गम्भीर रूप से जख्मी था, शव गर्रा नदी के पुल के पास, किनारे था। प्रार्थिनी के पुत्र का मोबाइल, जिसमें 9354084276 नं0 की सिम पड़ी थी, दो दिन पहले ही कही गायब हो गया था, पूछने पर लड़के ने कुछ नहीं बताया था तथा घर से जाने से कुछ देर पहले मृतक ने प्रार्थिनी के फोन से किसी को फोन किया था और नम्बर मोबाइल से Delete कर दिया था। विपक्षीगण सं० 1 ता 4 ने दिनांक 11.01.2026 को प्रार्थिनी के पुत्र को रस्सी में बांधकर मारा पीटा था तथा जान से मारने का प्रयास किया था, धमकी दी थी कि **तुझे जिन्दा नहीं छोड़ेंगे,** जिसका मुकदमा प्रार्थिनी ने थाने पर लिखाया था। विपक्षी सं० 5, प्रार्थिनी का रिश्तेदार है, जिसकी बहन से प्रार्थिनी के पुत्र का प्रेम सम्बन्ध था। विपक्षीगण दबंग व्यक्ति हैं, जो लगातार प्रार्थिनी के पुत्र को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। लाश मिलने से पहले व PMR के बाद, जब प्रार्थिनी थाने रिपोर्ट करने गयी, विपक्षी अभिनन्दन, प्रार्थिनी को, थाने में पुलिस के पास मौजूद मिला और पुलिस द्वारा प्रार्थिनी की रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। विपक्षीगण 1 ता 4 गुण्डा व अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। प्रार्थिनी को पूर्ण विश्वास है कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थिनी के पुत्र की हत्या की गयी है अथवा उसे स्वयं जान देने के लिये विवश किया गया है। विपक्षीगण की, प्रार्थिनी के पुत्र की हत्या में किसी न किसी प्रकार की भागदारी अवश्य है। अतः अभियोग पंजीकृत करने हेतु यथोचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार, दिनांक 11.01.2026 को आवेदिका की तहरीरी सूचना पर, थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 09/2026, अं० धारा 115(2), 351(3) BNS व 3(2)(Va), 3(1)(ध) SC/ST (P.A.) Act, बनाम अजय कुमार, अभिनन्दन के विरुद्ध पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी हरपालपुर द्वारा सम्पादित की गयी थी, जिसमें अं० धारा 352, 127(2) BNS व 3(1)(द) SC/ST (P.A.) Act की बढ़ोत्तरी

Gyanendra Tripathi
Spl. Judge SC/ST (P.A.) Act

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.08.25 16:49:14 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की गयी तथा उपरोक्त अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र सं० 34/26, दिनांक 7/3/2026 को, अन्तर्गत धारा 115(2),352,351(3),127(2) BNS व 3(1)(द), 3(1)(ध), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act में न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।पुलिस द्वारा आवेदिका के पुत्र कुलदीप के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है पोस्टमार्टम की छायाप्रति संलग्न है।

विपक्षीगण सं० 2 ता 3 की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के माध्यम से कथन किया गया है कि प्रार्थिनी द्वारा, आपत्तिकर्तागण के विरूद्ध, गाँव की पार्टीबन्दी व प्रधानी की चुनाव की रंजिश के कारण, विरोधियों के प्रभाव में, झूठी व मनगढ़न्त कहानी बनाकर, यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। आपत्तिकर्तागण का कथित घटना से कोई सम्बन्ध व सरोकार नही है। कथित घटना में बताये गये मृतक कुलदीप की मृत्यु, नदी में डूबने के कारण हुई है, जिसकी जानकारी गाँव के लगभग सभी लोगो को व आस पास के गाँव के लोगो को भी है। स्थानीय पुलिस को भी कुलदीप की मृत्यु नदी में डूबने से होने की जानकारी होने के कारण ही प्राथमिकी पंजीकृत नही की गयी। प्रार्थना पत्र व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थिनी के कथन मिथ्या सिद्ध होते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अवलोकन से कुलदीप की मृत्यु डूबने से होना पाया जाता है। मृतक कुलदीप के शव का पंचनामा करने वाले उपनिरीक्षक को भी, कुलदीप के सगे भाई सन्दीप व अन्य रिश्तेदारो ने भी रायपंचान में कुलदीप की मृत्यु नदी में डूबने से होना बताया है। (पंचायतनामा की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है) कथित घटना का कोई चश्मदीद गवाह भी नही है और न ही प्रार्थिनी द्वारा किसी को घटना कारित करते देखा गया है। प्रार्थिनी द्वारा थाना लोनार में दी गयी सूचना में बताया गया है कि *उसका लड़का कुलदीप दिनांक 26.05. 2026 को समय लगभग 8 बजे घर से चला गया था। आज दिनांक 28.05. 2026 को उसका शव गर्रा नदी, लोनार में मिला है।* उक्त सूचना को थाने में GD No.–36 पर दर्ज किया गया है। (GD की छायाप्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है) केवल विरोधियों के भड़काने पर प्रार्थिनी द्वारा कथित झूठा, गम्भीर आरोप लगाकर आपत्तिकर्तागण को परेशान व प्रताड़ित करने तथा सरकार से धन प्राप्त करने की नियत से न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी सं० 5 की ओर से प्रस्तुत लिखित आपत्ति के माध्यम से कथन किया गया है कि वह अनुसूचित चमार जाति का व्यक्ति है तथा रिश्ते में प्रार्थिनी विन्दासुरी का भनेंज दामाद है। आपत्तिकर्ता प्राइवेट कम्पनी, भावना सोसायटी, फ्लैट नं०–17, सेक्टर–43, गुरूग्राम (हरियाणा) में माली के पद पर, लगभग 10 वर्षों से नौकरी कर रहा है। प्रार्थिनी का, प्रार्थना पत्र में कथन है कि उसका पुत्र *कुलदीप दिनांक 26–5–2026 को, समय 8.00 बजे शाम घर से गाँव में जाने की बात कहकर निकला था और दिनांक 28–5–2026 को कुलदीप का शव गर्रा नदी के पुल के पास मिला।* आपत्तिकर्ता घटना के समय कुलदीप के गायब होने व नदी में शव मिलने की तिथियों पर उक्त कार्यस्थल पर कार्यरत था, जिससे सम्बन्धित प्रपत्र वह प्रस्तुत कर रहा है। आपत्तिकर्ता को दिनांक 28–5–2026 को गुरूग्राम में कार्यरत रहते हुए कुलदीप के गर्रा नदी में डूबने से मृत्यु होने की सूचना मिली, तब वह, पत्नी, सास, साला व बहन के साथ दिनांक 28–5–2026 को ट्रेन से आया था, जिसका ट्रेन टिकट नई दिल्ली से हरदोई की प्रस्तुत कर रहा है। आपत्तिकर्ता कुलदीप के अन्तिम संस्कार में सपरिवार सम्मिलित हुआ था, जहाँ गाँव के काफी लोग नदी में डूबने के कारण मृत्यु होने सम्बन्धी बातचीत कर रहे थे और दिनांक 29–5–2026 के अखबार में भी नदी में डूबने से मृत्यु होने की सूचना प्रकाशित हुई थी। प्रार्थना पत्र में प्रार्थिनी बिन्दासुरी द्वारा उसके मृतक पुत्र कुलदीप तथा आपत्तिकर्ता की बहन के मध्य प्रेम सम्बन्ध का कथन किया गया है, जो निराधार है। आपत्तिकर्ता विपक्षीगण सं० 1 ता 4 को जानता व पहचानता नहीं है।प्रार्थिनी

अपनी भांजी की शादी अपने मनमुताबिक किसी दूसरी जगह कराना चाहती थी परन्तु आपत्तिकर्ता की पत्नी गीता देवी की नानी व मॉ ने, अपनी पुत्री की शादी आपत्तिकर्ता के साथ कर दी थी, इसी कारण वह आपत्तिकर्ता से रंजिश रखती थी, इसी कारण उसने प्रार्थना पत्र में प्रार्थी को नामित कर दिया है। अतः प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

Post Mortem Report से यह स्पष्ट विदित होता है कि मृतक कुलदीप की मृत्यु नदी में डूबने से हुई है किन्तु प्रार्थिनी की इस आशंका से इंकार नही किया जा सकता है कि मृतक कुलदीप को नदी में डूबने हेतु दुष्प्रेरित किया गया रहा हो। मृतक का मोबाइल घटना से दो दिन पूर्व गायब होना, नम्बर मोबाइल से Delete हो जाना, दि० 11.01.2026 को विपक्षीगण सं० 1 ता 4 द्वारा उसे बांधकर, मारपीट कर, जान से मारने का प्रयत्न करना तथा जान से मारने की धमकी देना, इस सम्बन्ध में FIR भी दर्ज होना, आदि ऐसे तथ्य हैं, जिनका, गंभीर अपराध सम्बन्धी घटना के दृष्टिगत स्पष्टीकरण शेष है।

प्रार्थना पत्र के अवलोकन से प्रथम दृष्टया, प्रार्थिनी के पुत्र के साथ संज्ञेय अपराध कारित होना स्पष्ट है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार थाना प्रभारी, थाना लोनार, को आदेशित किया जाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) पंजीकृत कराते हुए, विधि अनुसार विवेचना कराया जाना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति समस्त आवश्यक प्रपत्रों के साथ सम्बन्धित थानाध्यक्ष को अनुपालन हेतु प्रेषित की जाये।

दिनांकः 18–08–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574